GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
(RAILWAY BOARD)
****

No.2012/TG-I/20/P/NRH PRS New Delhi, Dated: 23 .08.2018

The Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 43 OF 2018)

Sub: Extension of Memorandum of Understanding (MoU) signed between Ministry of Railways and Department of Posts for issuing of reserved tickets through computerized Passenger Reservation System (PRS) terminals provided in Post Offices.
*****

Please refer to this office letter of even number dated 31.07.2017 regarding extension of MoU for provision of PRS facility in Post Offices for one year on the existing terms and conditions.

2. The issue regarding extension of MoU has been examined in consultation with Finance Directorate of Ministry of Railways and it has been decided to accord post facto sanction for extension of this MoU for another one year i.e.upto 31.07.2019 on the enclosed terms and conditions.

3. Necessary instructions may be issued to all concerned.

DA: As above.

(Shelly Srivastava)
Director Passenger Marketing
Railway Board

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T),EDFC,DF(C),PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC,B 148,11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-1.
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. DG, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central Railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

*****

REVISED TERMS AND CONDITIONS FOR PROVISION OF PRS FACILITY IN POST OFFICES.

i. The PRSs to be operated by India Post will be named as "India Post PRS Centre".

ii. India Post would reserve railway tickets through the computerized PRSs of the Railways at such locations as are mutually agreed to between MOR and India Post. However, MOR & India Post to rationalize existing number of IP-PRS sites keeping in view the number of transactions at these locations.

iii. MOR will provide hardware, communication equipment and communication channels for which initial as well as recurring cost will be borne by MOR.

iv. The maintenance of the software and also any problem arising from its maintenance will be resolved by MOR.

v. The accommodation, lighting and other infrastructure arrangements will be provided by India Post.

vi. The staff for issuing the tickets will be provided by India Post at their cost.

vii. The training of the staff of India Post will be arranged by MOR at mutually agreed locations. The cost of training (excluding travelling allowance, daily allowance etc. to be paid to the staff of India Post) will be borne by MOR.

viii. The locations selected shall be hooked-up to respective main PRS nodes, as decided by MOR.

ix. India Post will collect the Blank computer ticket rolls at their own risk and responsibility from the designated PRS locations identified by MOR in consultations with India Post.

x. India Post shall take all steps required for security and safe custody of computerized ticket rolls supplied to them from time to time by MOR. In case of any loss, India Post will compensate MOR as per rules laid down by MOR.

xi. The amount payable to MOR will be credited by Reserve Bank of India, Nagpur centrally by debiting the account of India Post on a daily basis on the advice of FA&CAO of Zonal Railways.

xii. MOR to ensure development of a module to enable 23 Circles of India Post and their one centralized location in Delhi to know the number of transactions and amount payable to MOR by India Post on daily basis.

xiii. The locations operated by India Post will be able to book all types of tickets including concession and Military vouchers like any other regular railway PRS centers etc.

xiv. India Post will realize service charges from Passengers in lieu of tickets. The extent of service charges to be levied for different type of tickets and for different type of locations will be decided jointly by MOR and India Post from time to time. The per ticket service charges fixed in 2007 are as under:–

a. II Class Sleeper and II Class Sitting (2S)- ₹ 15/- per ticket (incl. of GST).

b. III AC & AC Chair Car-₹ 20/- per ticket (incl. of GST).

c. II AC, IAC & First Class-₹ 30/- per ticket (incl. of GST)

d. Cancellation charges for all classes – ₹ 10/- per ticket (incl. of GST).

xv. India Post centers will be attached to nominated Traffic Accounts Office of the respective railways for daily/periodical submission of accounting returns, vouchers, statements etc. depositions of advance and replenishments, as may be decided by MOR.

xvi. The inspection procedure to be followed for the staff of India Post will be a part of the syllabus for the training.

xvii. The locations of these PRS Centers will be inspected by a team of TIA and CMIs at least once a year to ensure that all the rules and regulations are being followed. Railways will report any serious issue / irregularity observed during the inspection to the Divisional Head concerned of India Post immediately.

xviii. The Field Post Offices (FPO) in which PRS is to be provided will be identified mutually.

xix. India Post shall be entirely and wholly responsible for all losses or damages that may be suffered by the Railway by any act or omission of India Post or its staff and shall indemnify & keep indemnified & harmless the Railway against or in respect of all such losses or damages or cost if any, incurred by the Railway in regard thereto. Any complaint arising out of behaviour or conduct of the staff of India Post

will be tackled by them and the damage if any, will be met by India Post only.

xx. The MOU will be valid for a period of one year and its progress will be reviewed half yearly. It will be renewed after expiry of the existing arrangements on mutually agreed terms and conditions.

xxi. India Post PRS centers will be operated at timings concurrent to the working hours of the existing PRS centers, if feasible.

xxii. India Post would examine the feasibility of providing e-ticketing facility instead of PRS in Post Offices. E-ticketing facility will be provided at mutually agreed locations, where e-tickets will be issued from the Post Offices of India Post. For this purpose separate agreement will be signed between India Post and Indian Railway Catering & Tourism Corporation (IRCTC).

xxiii. Both MOR & DOP agrees to make wide publicity of availability of India Post PRS Centers in Post Offices on the official web sites of both the organizations for awareness of general public.

xxiv. On those places where IP-PRS is available, MOR will put Display Boards on their Railway Booking Counters indicating availability of booking in Post Offices in the town with distance from that place.

xxv. MOR to explore the possibility to have linkage of India Post Software Systems (Meghdoot Point of Sale / Core System Integrator) with that of MOR so as to obviate need of standalone computer and dedicated manpower.

xxvi. Subject to examination of feasibility by Centre For Railway Information Systems (CRIS), MOR to provide access to system generated reports of MOR pertaining to IP-PRS. MOR will provide about 50 login ids and passwords, based on the list to be provided by DOP, for accessing these reports.

xxvii. As far as Goods and Services Tax(GST) is concerned, by virtue of exemption notification vide entry No. 8 of Notification No. 12/2017 – Central Tax (Rate) dated 28/06/2017, the service provided to Railways by Department of Posts is an exempted activity under GST rule being inter Government transaction.

******

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/ (RAILWAY BOARD)
*****

सं. 2012/टीजी-I/20/पी/एनआरएच पीआरएस

नई दिल्ली, दिनांक 23.8.2018

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 43)

विषय: डाक घरों में उपलबध कराए गए कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) टर्मिनलों के माध्यम से आरक्षित टिकटों को जारी करने के लिए रेल मंत्रालय और डाक विभाग के बीच हस्तारक्षित समझौता ज्ञापन की अवधि बढ़ाना।

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 31.07.2017 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें, जो मौजूदा निबंधन एवं शर्तों पर एक वर्ष की अवधि के लिए डाक घरों में पीआरएस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन की अवधि बढ़ाने के बारे में है।

2. रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय के परामर्श से समझौता ज्ञापन की अवधि बढ़ाने संबंधी मामले की जांच की गई है और संलग्न निबंधन एवं शर्तों पर अगले एक वर्ष के लिए अर्थात् 31.07.2019 तक इस समझौता ज्ञापन की अवधि बढ़ाने के लिए कार्योत्तर मंजूरी प्रदान करने का विनिश्चय किया है।

3. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

संलग्नक: यथोक्त

(शैली श्रीवास्तव)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. का नि सतर्कता(टी), का नि एफ(सी), निदेशक,एफ(सी), प्रमुख निजी सचिव/ वित्त आयुक्त, विकाधि./टीसी, एफ(सी) व सतर्कता (एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
3. एमडी/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001.
4. महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली/धनबाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-226011.
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मेट्रो रेल, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे. एल. नेहरू रोड, कोलकाता-71.

****

डाक घरों में पीआरएस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संशोधित निबंधन एवं शर्तें

i. भारतीय डाक द्वारा परिचालित पीआरएस "भारतीय डाक पीआरएस केन्द्र" के नाम से जाने जाएंगे।

ii. भारतीय डाक द्वारा, रेल मंत्रालय और भारतीय डाक के बीच पारस्परिक रूप से सहमत स्थानों पर रेलवे के कम्प्यूटरीकृत पीआरएस केन्द्रों के माध्यम से रेलवे टिकट आरक्षित किए जाएंगे। बहरहाल, रेल मंत्रालय और भारतीय डाक इन स्थानों पर लेन-देन की संख्या को ध्यान रखते हुए आईपी-पीआरएस की मौजूदा संख्या को पुनर्गठित करने के लिए कार्रवाई करेगी।

iii. रेल मंत्रालय, हार्डवेयर, संचार उपकरण और संचार चैनल उपलब्ध कराएगा, जिसके लिए आरंभिक और आवर्ती लागत का वहन रेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

iv. सॉफ्टवेयर का अनुरक्षण और इसके अनुरक्षण से संबंधित समस्या का समाधान भी रेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

v. स्थान, प्रकाश व्यवस्था और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था भारतीय डाक द्वारा की जाएगी।

vi. भारतीय डाक द्वारा अपनी स्वयं की लागत पर टिकटें जारी करने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी।

vii. पारस्परिक रूप से सहमत स्थानों पर, भारतीय डाक के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था, रेल मंत्रालय द्वारा की जाएगी। प्रशिक्षण की लागत (भारतीय डाक के कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता आदि को छोड़कर) का वहन रेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

viii. चयनित स्थानों को सबंधित मुख्य पीआरएस नोड के साथ जोड़ा जाएगा, जैसा रेल मंत्रालय द्वारा विनिश्चय किया गया है।

ix. भारतीय डाक के परामर्श से रेल मंत्रालय द्वारा चिह्नित नामित पीआरएस स्थानों से भारतीय डाक, ब्लैंक कम्प्यूटर टिकट के रोल अपने जोखिम और उत्तरदायित्व पर प्राप्त करेगी।

x. भारतीय डाक, रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर उन्हें सप्लाई किए गए कम्प्यूटरीकृत टिकट रोलों की सुरक्षा और सुरक्षित निगरानी के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगा। किसी भी प्रकार की हानि के मामले में भारतीय डाक, रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार रेल मंत्रालय को क्षतिपूर्ति देगा।

xi. रेल मंत्रालय को देय राशि भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर द्वारा क्षेत्रीय रेलों के वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारियों की सलाह से दैनिक आधार पर भारतीय डाक के खाते में डेबिट करके केन्द्रीकृत रूप से क्रेडिट की जाएगी

xii. रेल मंत्रालय, भारतीय डाक के 23 सर्कलों तथा दिल्ली में एक केन्द्रीकृत स्थान को लेन-देन की संख्या तथा दैनिक आधार पर भारतीय डाक द्वारा रेल मंत्रालय को देय राशि को जानने के लिए एक मॉड्यूल का विकास सुनिश्चित करेगा।

-2/-

xiii. भारतीय डाक द्वारा प्रचालित पीआरएस पर किसी अन्य नियमित रेलवे पीआरएस केन्द्रों की तरह ही रियायती और सैनिक वाउचरों सहित सभी प्रकार के टिकट बुक किए जाएंगे।

xiv. भारतीय डाक, टिकटों के लिए यात्रियों से सेवा प्रभार वसूल करेगा। अलग-अलग प्रकार की टिकटों और अलग-अलग स्थानों हेतु लिए जाने वाले सेवा प्रभारों का निर्धारण समय-समय पर संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय और भारतीय डाक द्वारा किया जाएगा। 2007 में निर्धारित किए गए प्रति टिकट सेवा प्रभार निम्नानुसार हैं-

क. द्वितीय श्रेणी स्लीपर और द्वितीय श्रेणी सिटिंग (2एस) प्रति टिकट ₹ 15/- (जीएसटी सहित)।

ख. ।।। एसी एवं वातानुकूलित कुर्सीयान प्रति टिकट ₹ 20/- (जीएसटी सहित)।

ग. ।। एसी, । एसी एवं प्रथम श्रेणी प्रति टिकट ₹ 30/- (जीएसटी सहित)।

घ. सभी श्रेणियों के लिए रद्दकरण प्रभार ₹ 10/- (जीएसटी सहित)।

xv. भारतीय डाक केन्द्र लेखा रिटर्नों, वाउचरों, विवरणों आदि को दैनिक/आवधिक रूप से जमा करने के लिए संबंधित रेलों के नामित यातायात लेखा कार्यालयों से जुड़े रहेंगे, जैसा कि रेल मंत्रालय द्वारा विनिश्चय किया जाए।

xvi. भारतीय डाक के कर्मचारियों के लिए अपनाई जाने वाली निरीक्षण प्रक्रिया, प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम का भाग होगी।

xvii. नियमों एवं विनियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इन पीआरएस केन्द्रों का निरीक्षण वर्ष में कम-से-कम एक बार टीआईए और सीएमआई की टीम द्वारा किया जाएगा। रेलवे, निरीक्षण के दौरान किसी भी गंभीर मामले/अनियमितता के संबंध में तत्काल भारतीय डाक के संबंधित मंडल प्रमुख को रिपोर्ट करेगा।

xviii. उन फील्ड डाक कार्यालयों (एफपीओ), जिनमें पीआरएस की व्यवस्था की जानी है, को पारस्परिक रूप से चिह्नित किया जाएगा।

xix. भारतीय डाक, उसके अथवा उसके कर्मचारियों के किसी कार्य अथवा गलती के कारण रेलवे को हुए सभी नुकसानों और क्षतियों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा तथा रेलवे को अथवा ऐसी सभी नुकसानों अथवा क्षतियों अथवा रेलवे द्वारा इससे संबंधित लागत यदि कोई हो, की क्षतिपूर्ति करेगा और इसे सुरक्षित एवं हानि-रहित रखेगा। भारतीय डाक के कर्मचारियों के व्यवहार अथवा आचरण के कारण उत्पन्न किसी शिकायत का निपटान उनके द्वारा किया जाएगा और हानि, यदि कोई हो, की क्षतिपूर्ति भी केवल भारतीय डाक द्वारा की जाएगी।

– 3 –

xx. यह समझौता ज्ञापन एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और इसकी प्रगति की अर्ध-वार्षिक समीक्षा की जाएगी। पारस्परिक रूप से सहमत निबंधन एवं शर्तों पर मौजूदा व्यवस्था के समाप्त होने के पश्चात् इसकी समीक्षा की जाएगी।

xxi. भारतीय डाक पीआरएस केन्द्र यदि व्यावहारिक हो तो, मौजूदा पीआरएस केन्द्रों के कार्य घंटों के समवर्ती समय पर ही परिचालित किए जाएंगे।

xxii. भारतीय डाक, डाक घरों में पीआरएस के स्थान पर ई-टिकटिंग सुविधा मुहैया कराने की व्यावहारिकता की जांच करेगा। ई-टिकटिंग की सुविधा पारस्परिक रूप से सहमत स्थानों पर मुहैया कराई जाएगी, जहां पर भारतीय डाक के डाक घरों से ई-टिकट जारी की जाएंगी। इस प्रयोजन के लिए भारतीय डाक और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) के बीच अलग करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

xxiii. रेल मंत्रालय एवं डाक विभाग ने आम जनता की जागरुकता के लिए दोनों संगठनों की आधिकारिक वेबसाइटों पर डाक घरों में भारतीय डाक पीआरएस केन्द्रों की उपलब्धता के व्यापक प्रचार की सहमति दी है।

xxiv. ऐसे स्थानों पर जहां पर भारतीय डाक पीआरएस की व्यवस्था मौजूद है वहां रेल मंत्रालय अपने रेलवे बुकिंग काउंटरों पर डिसप्ले बोर्ड लगाएगा, जिनमें शहर के डाक घरों में बुकिंग की उपलब्धता तथा उस स्थान से दूरी की सूचना दी जाएगी।

xxv. रेल मंत्रालय को भारतीय डाक सॉफ्टवेयर प्रणाली (मेघदूत प्वाइंट ऑफ सेल/ कोर सिस्टम इंटिग्रेटर) के साथ संपर्क स्थापित करने की संभावनाओं की तलाश करनी होगी ताकि अलग से कम्प्यूटर और समर्पित जनशक्ति की आवश्यकता से बचा जा सके।

xxvi. रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (क्रिस) द्वारा व्यावहारिकता की जांच के अध्यधीन रेल मंत्रालय को आईपी-पीआरएस से संबंधित रेल मंत्रालय की सिस्टम जनरेटेड रिपोर्टों तक पहुँच मुहैया करानी होगी। रेल मंत्रालय, इन रिपोर्टों तक पहुँच के लिए डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर लगभग 50 लॉग-इन आईडी और पासवर्ड मुहैया कराएगा।

xxvii. जहां तक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का संबंध है दिनांक 28/06/2017 की अधिसूचना सं. 12/2017-सैन्ट्रल टैक्स (रेट) की प्रविष्टि सं. 8 के तहत छूट अधिसूचना के आधार पर डाक विभाग द्वारा रेलवे को मुहैया कराई गई सेवा अंतर सरकारी लेन-देन होने के कारण जीएसटी नियम के अंतर्गत एक छूट प्राप्त गतिविधि है।